

सेवा में

परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

सभी महा प्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन।

उपरोक्त दरवाजा अधिकारी,
परिवहन विभाग, हरियाणा,
आई.एस.पी.टी. दिल्ली।

क्रमांक 3105-26 / टी.आई-3
दिनांक (2-7-07)

विषय:-

बसों में सीटें आरक्षित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के लगातार पत्र क्र० 2135-54 / टी.आई-3
दिनांक 24.7.2000 एवं क्रमांक 2803-23 / टी.आई-3 दिनांक 11.7.05 के संदर्भ में।

हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में विभिन्न प्रकार की श्रेणियों हेतु निम्नानुसार
सीटें आरक्षित करने बारे सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है :-

क्र० सं०	श्रेणी	सीटों की सं०	आरक्षित सीटें
1	संसद / विधायक / पूर्व विधायक	2	अगली खिड़की के पीछे वाला दो सीटों वाला बैन्च (टाटा एवं लेलेण्ड दोनों टाईप की बसों में)
2	स्वतंत्रता सेनानी / वरिष्ठ नागरिक	3	चालक सीट के पीछे तीन सीटों वाला बैन्च (टाटा एवं लेलेण्ड दोनों टाईप की बसों में)
3	महिलाएं	15	संसद / विधायक / पूर्व विधायक / स्वतंत्रता सेनानी / वरिष्ठ नागरिकों के पीछे वाले दो एवं तीन सीटों वाले लगातार तीन-तीन बैन्च (टाटा एवं लेलेण्ड दोनों टाईप की बसों में)

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अनुरोध सभी बसों में आरक्षित सीटों का वर्णन लिखवाकर इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपगत करवाने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करें कि मेन बस स्टैंड (जहाँ से बस बन कर चलती है) से प्रस्थान करने की स्थिति तक ही सीटें आरक्षित समझी जायें।

पृ० क्र० 3127-38 / टी.आई-3

दिनांक

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
कृते: परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

18-7-07

19/7/07

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री हरियाणा को उनके डायरी नम्बर 1000 दिनांक 20.6.07 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, परिवहन मंत्री हरियाणा को उनके डायरी नम्बर 311-एफ दिनांक 20.6.07 के संदर्भ में।
3. सभी मुख्यालय के अधिकारियों।

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
कृते: परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

19/7/07